<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)</u>

T.S-21/2013

कुमोद यादव एवं अन्य

बनाम

रघुवीर यादव एवं अन्य

25.08.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है।

अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–1, 2, 4 एवं 5 की ओर से दिनांक–11.02.2020 को दाखिल आवेदन तथा वादी के दिनांक–19.02.2020 को प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षो को सुना। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कथन किये है कि प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 की गवाही बंद कर दी गई है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 2 के दिनांक–28.06.2016 को सूची के साथ दो मूल राजस्व लगान रसीद दाखिल किया गया है, जिसे भूलवश प्रदर्श अंकित नही किया जा सका है। अतः उक्त मूल राजस्व लगान रसीद को न्यायहित मे प्रदर्श अंकित करने की अनुमति देने की कृपा की जाय।

वादी के द्वारा प्रतिवादी के आवेदन का विरोध किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी के साक्ष्य बंद किया जा चुका है। अतः राजस्व लगान रसीद को प्रदर्श अंकित कराया जाना न्याय संगत नही है। अतः प्रतिवादी के दिनांक–11.02.2020 के आवेदन को खारिज किया जाता है।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के साक्ष्य बंद किया जा चुका है, किन्तु न्यायहित मे प्रतिवादी को राजस्व लगान रसीद प्रदर्श अंकित करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी के आवेदन दिनांक–11.02.2020 को न्यायहित मे **स्वीकृत** किया जाता है।

वाद दिनांक–31.08.2022 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश